फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री रामचन्द्र **विपक्षी : श्री रमेश**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 79/24**

जीसीएमएस : 2024/278

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 21.02.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। विपक्षी सं. 1, 2 को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं किया। अतः विपक्षी संख्या 1, 2 के जवाब का अवसर बन्द किया जाता हैं। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस सुनी जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात मौजा राहमी पटवार हल्का गोलवाडा तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 103 पर दर्ज आराजी नम्बर 131, 292, 293, 295, 312, 316, 335, 367, 614, 620, 699, 700, 701, 702 किता 14 कुल रकबा 4.8400 हेक्टेयर भूमि प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज है में से भाई पांती बंटवारा आराजी नम्बर 292 रकबा 0.0081 हेक्टेयर भूमि मुझ प्रार्थी के हिस्से में आई एवं मैं प्रार्थी आराजी नम्बर 292 पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा हूं। वादग्रस्त आराजी नम्बर 292 पर विपक्षी संख्या 1, 2 द्वारा अनाधिकार रूप से जबरन ताकत के बल पर कब्जा कर मेरी खातेदारी की आराजीयात में बाउण्ड्रीवाल बनाने पर आमादा है जिसका विपक्षी संख्या 1, 2 को कोई विधिक अधिकार नहीं होने का कथन कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षी संख्या 1, 2 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध दस्तावेज व अध्ययन से वादग्रस्त भूमि	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 11:58:47 IST
Reason: SelfAttested

वर्तमान में प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता हैं। विपक्षी संख्या 1, 2 वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं हैं। खातेदार नहीं होने से यदि विपक्षी संख्या 1, 2 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जाता है तो मौके पर विवाद बढने की सम्भावना प्रतीत होती है तथा पक्षकारों के मध्य अनावश्यक मुकदमेंबाजी भी बढेगी तथा इससे प्रार्थी के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा तथा अपूरणीय क्षति होगी। प्रकरण में दिनांक 05.08.2024 से विपक्षी संख्या 1, 2 के विरूद्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर विपक्षी संख्या 1, 2 को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित पाया जाता हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: <u>आदेश</u> :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर प्रकरण में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जाती है कि मौजा राहमी पटवार हल्का गोलवाडा तहसील मावली की जमाबन्दी सम्वत् 2077—80 की खाता संख्या 103 पर दर्ज आराजी नम्बर 292 किता 1 रकबा 0.0081 हेक्टेयर भूमि में मूल वाद के निस्तारण तक विपक्षी संख्या 1, 2 मौके की यथास्थिति बनाये रखें। किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करे। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 11:58:47 IST
Reason: SelfAttested